कार्यालय, अंचल अधिकारी, माण्डर, राँची।

आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक , 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारिक.....से .....तक

जिला राँची अभिलेख सं. मांडर

केश का प्रकार – विविध वाद

लेयाकत अंसारी	**बनाम**	सोमरा उरांव
पिता :– स्व०शेख फरजन		पिता:स्व०पतिया उरांव
ग्राम:-प्रयागों /थाना:-मांडर		ग्राम:-प्रयागों /थाना:-मांडर ,
जिला:-राँची		जिला:-राँची

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई, करवाई के बारे में टिपण्णी : तारीख सहित
29-09-21	आवेदक लेयाकत अंसारी पिता स्व. शेख फरजन ग्राम प्रयागो पो. टांगरबसली थाना माण्डर जिला राँची के आवेदन पर यह वाद संधारित किया गया है। आवेदक का कहना है कि इनकी जमीन खाता सं. 149 प्लाट सं. 628, 1221 , 1222, 1351, 1352, 1812 , 1833 में कुल मधे रकबा 3.77 एकड़ जमीन है जो कि मसो. मरिया जौजे शेख सजन के नाम से रसीद कटते आ रहा है और अवैध ढंग से पतिया उराँव के नाम से दर्ज किया गया है इसे हटा कर खतियानी रैयत के नाम से ऑनलाइन रसीद निर्गत किया जाय। आवेदन के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग गयी और उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर कागजात की मांग गयी और उन्हें सुना गया। प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजात ..... (1) आधार सं. 54382951055 की छायाप्रति (2) ऑनलाइन कन्टीन्युस खतियान पेज सं. 1/96 , 1/155 की छायाप्रति (3) मेनुअल लगान रसीद सं. JH01A024870, JN40-5352238, VP1-008935, 17756 की छायाप्रति 353786 (4) मौजा प्रयोग खाता सं. 149 के खतियान की छायाप्रति (5) जमींदारी रसीद की 04 छायाप्रति द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजात – (1) ऑनलाइन लगान रसीद पेज सं. 1/96 रसीद सं. 025149 की छायाप्रति (2) लगान रसीद सं. w/7 – 258486 की छायाप्रति (3) बंडा पर्ची सविक खाता सं. 149 की छायाप्रति (4) न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, राँची का वाद सं. 884 / 1939 की छायाप्रति – 25. 01. 40 को आदेश पारित (5) केस सं. 590/ 67-68 बकाया भुगतान कि रसीद कि छायाप्रति (6) रेंट रसीद मनी आर्डर की छायाप्रति – 3 प्रति (7) चालान की छायाप्रति	

Scanned with CamScanner

(8) जमींदारी लगान वसूली रसीद की छायाप्रति
(9) ऑनलाइन पंजी II 1/155 की छायाप्रति
(10) ऑनलाइन लागान रसीद पंजी II 1/155 की छायाप्रति

राजस्व उपनिरीक्षक ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन किया है कि मौजा प्रयागो, खाता सं. 149 प्लाट सं. 628, 1221 एवं अन्य प्लाट, रकबा 3.77 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में मोसमात मरेआ जौजे शेख सजन कौम जोल्हा कायमी दर्ज है | पंजी II के अनुसार भाग सं. 1/96 पर खाता सं. 149 रकबा 3.77 एकड़ भूमि एवं पुनः भाग सं 1/155 पर खाता सं. 149 रकबा 3.77 की जमाबंदी पतिया उराँव के नाम दर्ज है | पंजी II में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है | पंजी II के मिलान एवं जांचोपरांत खतियानी रैयत के नाम जमाबंदी दर्ज नहीं है | स्थलीय जाँच – पड़ताल एवं ग्रामीणों से पूछताछ द्वारा वर्तमान में खतियानी रैयत के वंशजों का दखल स्पष्ट नहीं है | उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है की पंजी II में खतियानी रैयत के नाम जमाबंदी ना होकर अन्य के नाम दर्ज जमाबंदी संदेहास्पद प्रतीत होता है |अतः पंजी II में खातियानी रैयत के नाम जमाबंदी ना हो कर अन्य के नाम दर्ज संदेहास्पद जमाबंदी की सत्यता की जाँच हेतु सम्बंधित पक्ष को नोटिस निर्गत कर सुनवाई उपरांत जमाबंदी विलोपित करने सम्बन्धी कार्रवाई किया जा सकता है |

प्रथम पक्ष लेयाकत अंसारी पिता स्व. शेख फरजन ग्राम प्रयागो थाना माण्डर जिला रांची का कहना है कि मौजा प्रयागो का खतियान 149, प्लाट न. 628 एवं अन्य रकबा 3.77 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में मसो० मरेया जौजे शेख सजन कौम जोल्हा के नाम से दर्ज है | उक्त भूमि वर्ष 2011 -12 से सोमरा उराँव के नाम से दर्ज हो गया है और उसी के नाम से लगान रसीद निर्गत है | प्रथम पक्ष ने बताया है की द्वितीय पक्ष को खतियानी रैयत से उक्त भूमि नहीं दिया गया है | द्वितीय पक्ष के कागजातों की जाँच कर वैध कागजात नहीं होने पर उक्त भूमि की जमाबंदी खतियानी रैयत के वंशज के नाम से करने का अनुरोध किया है | द्वितीय पक्ष उक्त जमीन पर खेती –बारी करते आ रहा है | जब से लगान रसीद कटना शुरू हुआ है तब से अधबटाई देना बंद कर दिया है | प्रथम पक्ष खतियानी शेख मरिया प्रथम पक्ष लेयाकत अंसारी के पिता स्व. शेख फरजन की बहन थी जो नावल्द मृत हो गई | मसो० मरिया की देखभाल में मसो० ने वाद की भूमि प्रथम पक्ष को मौखिक रूप से दिया था | प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के कागजातों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया है |

द्वितीय पक्ष सोमरा उराँव पिता स्व. पतिया उराँव , ग्राम प्रयागो, थाना माण्डर जिला रांची का कहना है कि मौजा प्रयागो का खाता सं. 149 प्लाट सं. 698, 1221, 1222, 1351, 1352, 1812 रकबा 3.77 एकड़ जमीन पतिया उराँव पिता स्व. चंदा उराँव के नाम से दर्ज है | उक्त भूमि का लगान रसीद 1960 -62 से वर्ष 2021 तक निर्गत है | जमीन पर दो पीढ़ियों से खेतीबारी करते आ रहे हैं | उक्त भूमि हमें हुकुमनामा से मिला है | न्यायालय का केस न. 884/1939 का कागजात दाखिल है | उक्त भूमि का बण्डा पर्चा में सोमरा उराँव पति उराँव झरिया उराँव पिता चंदा उराँव के नाम से है | कभी अधबटाई नहीं देते थे | दादा के समय से उक्त भूमि का लगान रसीद निर्गत है और खेती बारी करते आ रहे हैं और करते रहेंगे |द्वितीय पक्ष का कहना है कि उनका कागजात सही है |

उभय पक्षों को सुनने और राजस्व कागजातों एवं राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा प्रयागो खाता सं. 149 प्लाट सं. 628, 1221, 1222, 1351, 1352, 1812, एवं 1833 कुल रकबा 3.77 एकड़ सर्वे खतियान में मसोमात मरेया जौजे शेख सजन कौम जोल्हा कायमी दर्ज है और पंजी II के अनुसार उक्त भूमि की जमाबंदी पंजी 2 के पेज सं. 96/1 पर पतिया उराँव के नाम से दर्ज है | द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कागजात न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी राँची वाद सं. 884/1939 पति उराँव बनाम ब्रीजनाथ तिवारी में दिनांक 25.01.1940 को पारित आदेश के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के सुलह आवेदन के आधार पर वाद निष्पादित किया गया है और सुलह आवेदन में प्रतिवादी ब्रीजनाथ तिवारी ने प्रश्नगत भूमि वादी पती उराँव का बंदोबस्त करने का करार किया है |

द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अनुसार डिप्टी कमिशनर राँची का पती उराँव के नाम सम्मन बनाम मुदालेह (CNT act 1908 की धारा 151) दिनांक 21.03.1940 अदालत कलकटर जिला राँची का इशितहार बिक्री का उस जमीन की निस्बत जिसके लिए बाकी पड़ी है जिसमें डिगरीदार- महाराजा श्री प्रताप उदैनाथ शाहदेव, जिम्मेवार- मो. मरेआ जौजे शेख सजन साकिन परेयागो थाना माण्डर है जिसमें डिगरीदार ने प्रश्नगत जमीन का निस्बत रुपया बाकी जमीन के लिए

Scanned with CamScanner

इस अदालत की डिगरी पायी है और उसके बिक्री के लिए दरखास्त दी है | अदालत द्वारा निर्धारित राशि पर दिनांक 23.8.1935 को नीलाम की जायगी | छोटानागपुर राज केस नम्बर 41 महाराजा श्री प्रताप उदैनाथ शाहदेव बनाम ब्रीजनाथ तिवारी वगैरह | डिगरी 3622 सन 1934 - 35 मौजा या महाल – परेयागो नाम डिगरीदार – महाराजा छोटानागपुर नाम मदीउन – मो. मरेआ दर्ज है | केस न. 580/67-68 के आलोक में पती उराँव S/O चंदा उराँव के द्वारा 89.25 रु.पर का भुगतान की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत है | साथ ही चालान – वाबत मालगुजारी पती उराँव के द्वारा भुगतान दिनांक 06.09.36 को Imperial bank of India को है |

स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष की जमाबंदी लम्बे समय से कायम है और उसका वैध आधार भी है | अतः द्वितीय पक्ष की जमाबंदी कायम रहेगी | प्रथम पक्ष लेयाकत अंसारी पिता स्व. शेख फरजन ग्राम प्रयागो थाना माण्डर जिला राँची का आवेदन ख़ारिज किया जाता है | इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है |

लेखापित एवं संशोधित

29.9.21
अंचल अधिकारी मांडर

29.9.21
अंचल अधिकारी मांडर

Digitally signed by VIJOY H XALXO
Date: 2023.02.17 15:10:11 +05:30
Location: 192.168.209.200

Scanned with CamScanner